

फा. सं. 9/141/2012-बीपी एण्ड एल

भारत सरकार

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

बीपी एण्ड एल अनुभाग

शास्त्री भवन, नई दिल्ली

दिनांक : 18 जनवरी, 2012

विषय : डिजिटल एड्रसेबल केबल टीवी प्रणाली के कार्यान्वयन पर कार्य बल का पुनर्गठन

मंत्रालय ने अपने दिनांक 18 अप्रैल, 2011 के का.जा.सं. 9/16/2004-बीपी एण्ड एल द्वारा देश में केबल टीवी क्षेत्र में डिजिटल एड्रसेबल प्रणाली (डीएस) के कार्यान्वयन के निरीक्षण और मानीटर करने के लिए गठित किया था। कार्यबल ने चरण-I में डीएस के कार्यान्वयन के दौरान हितधारकों की चिंताओं पर चर्चा करने के लिए प्रभावशाली प्लेटफार्म के रूप कार्य किया और समय-समय पर डिजिटल इजेशन की दिशा में प्रगति की समीक्षा भी की। डीएस के चरण-II का डिजिटल इजेशन होने जा रहा है और यह निर्णय लिया गया है कि निम्नलिखित संरचना के साथ उक्त कार्य बल का पुनर्गठन किया जाए :-

- | | |
|---|---------|
| 1. अपर सचिव, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय | अध्यक्ष |
| 2. मुख्य सलाहकार (बी एण्ड सीएस), टीआरएआई | सदस्य |
| 3. श्री एस एन शर्मा, राष्ट्रीय स्तर के एमएसओ का प्रतिनिधि | सदस्य |
| 4. श्री इजाज इनामदार, इन्टरमीडिया केबल कम्यूनिकेशन प्रा. लि., पुणे, स्वतंत्र एमएसओ का प्रतिनिधि | सदस्य |
| 5. श्री सुमित बोस, गुजरात टेलीलिंग प्रा. लि., स्वतंत्र एमएसओ का प्रतिनिधि | सदस्य |
| 6. श्री ए.वी. पुल्ला राव, मै. भाग्यनगर डिजिटल सर्विसिस प्रा. लि., हैदराबाद, स्वतंत्र एमएसओ का प्रतिनिधि | सदस्य |
| 7. श्री नितिन नाटवाणी, एनबी विश्व दर्शन, राजकोट, एलसीओ का प्रतिनिधि | सदस्य |

8.	श्री सुनील जौली, मै. होम इन्टरटेनमेंट, लखनऊ, एलसीओ का प्रतिनिधि	सदस्य
9.	श्री सेवा सिंह, ए.पी. केबल टीवी आपरेटर संघ, हैदराबाद, एलसीओ का प्रतिनिधि	सदस्य
10.	भारतीय प्रसारण फाउन्डेशन (आईबीएफ) का प्रतिनिधि	सदस्य
11.	न्यूज ब्राडकास्टर एसोसिएशन (एनबीए) का प्रतिनिधि	सदस्य
12.	भारतीय क्षेत्रीय टेलीविजन प्रसारक संघ (एआरटीबीआई) का प्रतिनिधि	सदस्य
13.	डायरेक्ट टू होम (डीटीएच) संघ का प्रतिनिधि	सदस्य
14.	भारतीय वाणिज्यिक और उद्योग चेम्बर्स संघ (फिक्की) का प्रतिनिधि	सदस्य
15.	भारतीय उद्योग संघ (सीआईआई) का प्रतिनिधि	सदस्य
16.	एसोचेम का प्रतिनिधि	सदस्य
17.	उपभोक्ता इलेक्ट्रानिक और उपकरण निर्माता संघ (सीईएएमए) का प्रतिनिधि	सदस्य
18.	दूरसंचार विभाग, दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का प्रतिनिधि	सदस्य सदस्य
19.	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी का प्रतिनिधि	सदस्य
20.	प्रसार भारती का प्रतिनिधि	सदस्य
21.	उपभोक्ता संरक्षण परिषद, अहमदाबाद, उपभोक्ता संगठनों का प्रतिनिधि	सदस्य
22.	उपभोक्ता गिल्ड, लखनऊ, उपभोक्ता संगठनों का प्रतिनिधि	सदस्य
23.	राष्ट्रीय मानव समझौता और पर्यावरण केन्द्र, भोपाल, उपभोक्ता संगठनों का प्रतिनिधि	सदस्य

24. उपोक्ता अधिकार शिक्षा और जागरूकता ट्रस्ट बंगलूरु, उपभोक्ता संगठनों का प्रतिनिधि	सदस्य
25. ब्राडकास्ट इंजीनियरी परामर्शदाता भारत लि. का प्रतिनिधि	सदस्य
26. राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के नोडल अधिकारी	सदस्य
27. संयुक्त सचिव (प्रसारण), सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	सदस्य-संयोजक

2. कार्य बल की गतिविधियां/विचारार्थ विषय निम्नानुसार होंगे :

- (i) केबल टीवी क्षेत्र में डीएस के कार्यान्वयन से संबंधित सभी मामलों में सरकार और उद्योग के बीच नोडल निकाय के साथ-साथ परस्पर संपर्क का कार्य करना;
- (ii) डीएस के कार्यान्वयन का निरीक्षण करना और मानीटर करना;
- (iii) डिजिटाइजेशन के रास्ते में मौजूद अवरोधों का अध्ययन करना और उनके कुशल ढंग से समाधान के लिए उपयुक्त उपाय सुझाना ताकि डिजिटाइजेशन के प्रोसेस को आगे ले जाने के लिए विभिन्न हितधारकों को समर्थ बनाया जा सके;
- (iv) डिजिटल एड्रेसेबल प्रणाली के कार्यान्वयन से उठने वाला कोई अन्य मुद्दा, उसके प्रासंगिक या संबद्ध या समय-समय पर सरकार द्वारा कार्यबल को विशेष रूप से भेजा गया मुद्दा।

3. कार्य बल समय-समय, जैसा आवश्यक समझा जाता है, किसी सदस्य(यों) को चुन सकता है।

4. कार्यबल के सदस्य भाग लेंगे और उपर्युक्त उद्देश्यों के लिए स्वैच्छिक रूप से योगदान देंगे और सरकार द्वारा कोई यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता या अन्य प्रासंगिक व्यय अदा नहीं किए जाएंगे।

5. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

ह./

(के.एस. रेजिमोन)

निदेशक (डीएस)

टेलीफैक्स : 23381246

कार्यबल के सभी सदस्य

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित :

- (i) सलाहकार (डीएस)
- (ii) एचएमआईबी के निजी सचिव
- (iii) सचिव (आईएण्डबी) के प्रधान निजी सचिव
- (iv) अपर सचिव (आईएण्डबी) के प्रधान निजी सचिव
- (v) संयुक्त सचिव (प्रसारण) के निजी सचिव